रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT No. F. GOVT

सं० 420] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 1975/आश्विन 16, 1897
No. 420] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 1975/ASVINA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October 1975

S.O. 596(E).—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 3348 dated the 9th October, 1972, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the locality described in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report after consulting the Government of Madhya Pradesh is satisfied that the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 56.00 acres (approximately) or 22.68 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 56.00 acres (approximately) or 22.68 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired.

The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Sahdol (Madhya Pradesh) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of National Coal Development Corporation Limited, (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi.

THE SCHEDULE

Sohagpur Block-V-Extension No. 1

Sohagpur Coalfield

Rev/14/74

Dated 9-5-1974

(Showing lands where rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals has been acquired).

MINING RIGHT.

Serial number	Village	Tahsil	District	Area in acres	Remarks
1.	Pasan	Sohagpur	Sahdol	56.00	Part
			Total : or	56·00 acres (approximately) 22·68 hectares (approximately)	

Plot numbers acquired in village Pasan :

1284 (part), 1289 (Part), 1290 (Part), 1300 (Part), 1301 (Part), 1302 (Part), 1308 (Part), 1309 (Part), 1310 (Part) and 1365 (Part).

Boundary description :

A—B line passes through plot numbers 1310, 1308, 1365, 1301, 1302, 1300 and 1290 of village Pasan.

B—C line passes through plot numbers 1290 and 1289 of village Pasan (which is the part common boundary of Sub-Block-III Mining Rights area of Sohagpur Block-V acquired u/s 9(1) of Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 vide S.O. No. 2974 dated 4-12-1961.

C—A line passes through plot numbers 1289 1284, 1308, 1309 and 1310 of village Pasan (which is the part common boundary of sub-Block-III Mining Rights area of Sohagpur Block V acquired u/s 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide S.O. No. 2974 dated 4-12-1961 and meets at starting point 'A'.

[No. C5-25(7)/72-CEL]

S. B. Lal, Jt. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1975

का० आ० 596 (अ).—कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय) (खान विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3348, तारीख 9 अक्टूबर, 1972 द्वारा, केन्द्रीय

सरकार ने, उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित स्थानों पर खनिजों की खुदाई, खदान कार्य, वेधन, गर्तन व खोज प्राप्ति कार्य चालन और ढुलाई संबंधी अधिकारों की प्राप्ति के बारे में अपने आशय की सूचना दी थी ।

और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 56.00 एकड़ (लगभग) अथवा 22.68 हेक्टेर (लगभग) भूमियों में खनिजों की खुदाई, खदान कार्य, वेधन, गर्तन व खोज, प्राप्ति कार्य चालन और ढुलाई संबंधी अधिकारों को अर्जित किया जाना चाहिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार घोषित करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 56.00 एकड़ (लगभग) अथवा 22.68 हैक्टेयर (लगभग) भूमियों में खनिजों की खुदाई, खदान कार्य, वेधन, गर्तन व खोज प्राप्ति कार्य चालन और ढुलाई संबंधी अधिकारों को अर्जित किया जाना चाहिए ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के नक्शों का निरीक्षण कलैक्टर, के कार्यालय शाहडोल मध्य प्रदेश में या कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1—काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय, दरभंगा हाउस रांची में किया जा सकता है ।

अनुसूची

सोहागपुर खण्ड 5—विस्तार संख्या

सोहागपुर कोयला क्षेत्र

रा सं० 14/74

तारीख 9-5-1974

(वर्णित भूमियां जिनमें खनिजों की खुदाई, खदान कार्य वेधन, गर्तन, व, खोज, प्राप्ति, कार्य चालन और ढुलाई संबंधी अधिकारों को अर्जित किया गया है) ।

खनन अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणी
1	पासन	सोहागपुर	शाहडोल	56.00	भाग
			जोड़	56.00 एकड़ (लगभग)	
			अथवा	22.68 हैक्टेयर (लगभग)	

ग्राम पासन में अंकित प्लाटों की संख्या

1284 (भाग), 1289 (भाग), 1290 (भाग), 1300 (भाग), 1301 (भाग), 1302 (भाग), 1308 (भाग), 1309 (भाग), 1310 (भाग) तथा 1365 (भाग)।

सीमा वर्णन

ए–बी लाईन पासन ग्राम के प्लाट संख्या 1310, 1308, 1365, 1301, 1302, 1300, तथा 1290 से होकर गुजरती है।

बी–सी पासन ग्राम के प्लाट संख्या 1290, तथा 1289 (जो सोहागपुर खण्ड--5 के उप खण्ड 3 खनन अधिकार क्षेत्र की आंशिक सामान्य सीमा है, जिसका अर्जन कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 9 (1) के अंतर्गत का० आ० संख्या 2974 दिनांक 4–12–1961 के द्वारा किया गया था) से होकर गुजरती है।

सी–ए पासन ग्राम के प्लाट संख्या 1289, 1284, 1308, 1309, तथा 1310 (जो सोहागपुर खण्ड 5 के उपखण्ड 3 खनन अधिकार क्षेत्र की आंशिक सामान्य सीमा है, जिसका अर्जन कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 9(1) के अंतर्गत का० आ० संख्या 2974 दिनांक 4–12–1961 के द्वारा किया गया था) से होकर गुजरती है और आरंभ बिन्दु ए पर मिलती है।

[सं० सी 5–25(7)/72–सीईएल]

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975